न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 211/2017/225 आर टी ए

धर्मपाल पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी 3 एमजेडी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 3 एमजेडी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. रामजस पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी 3 एमजेडी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. राजकुमार पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी ढाणी चक 3 एमजेडी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.06.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया
प्र0सं0 148/2016 बअनवानी विजयसिंह बनाम धर्मपाल आदि

उपस्थित :–

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजेश कुमार छिम्पा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 4

निर्णय दिनांकः–18.06.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये, अप्रार्थीगण हाजिर नही आए। तहसीलदार संगरिया को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश कतई गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली का सही निर्णय पारित करने हेतु मौका रिपोर्ट मंगवाई थी जो दिनांक 12.06.17 को प्राप्त हुई जिसमे तहसीलदार राजस्व संगरिया ने रिपोर्ट के बिन्दू सं. 1 मे स्पष्ट लिखा है कि वर्तमान मे प्रार्थी/रेस्पो0 सं. 1 अपने खेत चक 3 एमजेडी के प.न. 170/183 मु. न. 40 कि.न. 4, 5 मे जाने हेतु मौका पर नहर बाउण्डरी पर चलने वाले सरकारी रास्ते से कि.न. 6, 15, 16, 25 मे से चालू रास्ता आवागमन हेतु काम मे ले रहा है। इसी प्रकार रिपोर्ट की बिन्दू सं. 2 मे भी स्पष्ट लिखा है कि प्रार्थी के कि.न. 4 व 5 मे जाने हेतु कि.न. 23 ता 25 मे नहर की बाउण्डरी के पास चलने वाला रास्ता निकटतम है तथा इसी प्रकार रिपोर्ट के बिन्दू सं. 3 मे भी स्पष्ट उल्लेख है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता व नहर बाउण्डरी पर चल रहे रास्ता मे से नहर बाउण्डरी रास्ता नजदीक है। परन्तु विचारण न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प रतनपुरा मे पारित किया है राजस्व लोक अदालत अभियान मे सभी पक्षकारो की सहमति से मुताबिक राजीनामा निर्णय पारित किया जाना चाहिए ताकि आईन्दा से पक्षकारो के मध्य विवाद ना हो परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एकतरफा तौर पर पारित कर विधिक भूल की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृत प्रस्तुत किया कि अपनी खातेदारी भूमि चक 3 एमजेडी के खाता सं. 43/40 जमाबंदी सम्वत 2068–71 मे 1.898 है0 व इसी चक के खाता सं. 41/43 जमाबंदी सम्वत 2068–71 मे 0.506 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 को अपने कब्जा काश्त की आराजी मेब नी रिहायशी ढाणीयों मे जाने व कृषि संयत्र ले जाने हेतु कोई मंजूरशुदा रास्ता नही है। इसलिए अपीलांट व अन्य रेस्पो0 की भूमि मे चक 3 एमजेडी के प.न. 170/182 मु.न. 37 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे पत्थर लाईन के साथ धोरी खाला के चिपता हुआ पश्चिम दिशा मे उतर से दक्षिण रास्ता का उपयोग व उपभोग कर रहे है, को स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने बाद विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए

तथा प्रार्थी/रेस्पो0 सं. 1 को रास्ता की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही है। अपीलांट द्वारा अन्य प्रकरण सं. धर्मपाल बनाम रामजस मे भी रास्ता की मांग करते हुए रास्ता स्वीकृत करवाया गया है जो प.न. 171/182 के मु.न. 36 कि.न. 2 मे 0.015 है0 मे है तथा उक्त भूमि रेस्पो0 रामजस की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0/प्रार्थी एवं तहसीलदार रिपोर्ट मे भी कथन किया गया है कि प्रार्थी रेस्पो0 को अपीलांट धर्मपाल रास्ता देता है तो प्रार्थी/रेस्पो विजयसिंह आदि अपीलांट को रास्ता देने हेतु सहमत है। परन्तु अपीलांट रास्ता के बदले रास्ता देने हेतु सहमत नही हुआ जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता की ऐवज मे डीएलसी दर की दुगुनी राशि का आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 ने अपनी बहस मे कथन किया कि कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर चक 3 एमजेडी के प.न. 170/182 मु. न. 37 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे पत्थर लाईन के साथ धोरी खाला के चिपता हुआ पश्चिम दिशा मे उतर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालन कैम्प मे अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय के जरिये रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है। जबकि प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था जो पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 136/2016 अनवानी धर्मपाल बनाम रामजस आदि जिसमे भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.06.2017 को चक 3 एमजेडी के प.न. 171/182 के मु.न. 36 कि.न. 2 मे 0.015 है0 रास्ता स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो प्रकरणो (अनवानी विजयसिंह बनाम धर्मपाल आदि एवं अनवानी धर्मपाल बनाम रामजस) मे एक साथ मौका की जांच के आधार पर दोनो ही पत्रावलियों मे रास्ता की आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए रास्ते स्वीकृत किये जाने चाहिए थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। जबकि प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत अपीलांट सहमत नही था इसके बावजूद भी अपीलांट को अपने पक्ष रखने बाबत कोई अवसर

प्रदान नही किया गया। प्रश्नगत प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता के बिन्दू को भी ध्यान रखा जाना चाहिए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत ही रास्ता के प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 148/2016 विजयसिंह बनाम धर्मपाल आदि एवं प्रकरण संख्या 136/2016 अनवानी धर्मपाल बनाम रामजस आदि दोनो प्रकरणो मे एक साथ उभय पक्षो को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत दोनो प्रकरणो मे एक साथ पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official